



श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री अशोक कुमार मीणा के कुशल निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री अजय प्रताप सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप सिंह के कुशल नेतृत्व में कोतवाली फर्रुखाबाद द्वारा दिनांक 13.07.2022 को मेडीकल कालेज लखनऊ से रायबरेली पुलिस की अभिरक्षा से चकमा देकर फरार अन्तर्राज्यीय ईगनी गैंग के जनपद रायबरेली के पुलिस मुठभेड में लूट, टप्पेबाजी, छिनैती, चोरी करने वाले 02 नफर अभियुक्तगण 1.इंजमाम अली पुत्र पठान अली नि0 बड़ेगाँव थाना शाहगंज जनपद जौनपुर, 2.इरफान अली पुत्र वसीर खाँ निवासी कस्वा व थाना उमरिया जनपद उमरिया मध्य प्रदेश को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 15.07.2022 को समय करीब 13:10 बजे रेलवे स्टेशन फर्रुखाबाद के पास से 01-01 तमंचा देशी 315 बोर व 01-01 जिन्दा कारतूस 315 बोर से साथ गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।



**गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-**

- 1- इंजमाम अली पुत्र पठान अली नि0 बड़ेगाँव थाना शाहगंज जनपद जौनपुर।
- 2- इरफान अली पुत्र वसीर खाँ निवासी कस्वा व थाना उमरिया जनपद उमरिया मध्य प्रदेश।

**पूछताछ विवरण:-** गिरफ्तार अभियुक्तगण इंजमाम अली, इरफान अली उपरोक्त ने दौराने गिरफ्तारी पूछताछ पर बताया कि दिनांक 09.07.2022 को उनकी जनपद रायबरेली में थाना डलमऊ की पुलिस से मुठभेड हो गयी थी जिसमें हम दोनों के पैरों में गोली लग गयी थी इलाज के दौरान हमें मेडीकल कालेज लखनऊ ले जाया गया था वहाँ हम लोग अस्पताल में भर्ती थे जहां से दिनांक 13.07.2022 को हम लोग पुलिस अभिरक्षा से फरार होकर ट्रेन से दिनांक 14.07.2022 को रात्रि में फर्रुखाबाद आये थे इसके बाद रात्रि में फर्रुखाबाद से आगे के लिये ट्रेन नहीं थी तो हम लोग दूल्हे साहब की दरगाह बजरिया फर्रुखाबाद में रात्रि में

रुके थे। आज भोपाल जाने के लिये रेलवे स्टेशन पर गये तो पता चला कि ट्रेन 1 घण्टे बाद है। वहाँ काफी भीड़ थी इसलिये हम लोग छिपने के उद्देश्य से पानी की टंकी के पास बैठ गये थे। सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने अपने पास 01-01 तमंचा व कारतूस की व्यवस्था कर ली थी कि आप लोगों ने हम लोगों को पकड़ लिया।

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त इरफान अली: -

- 1- मु0अ0सं0 117/22 धारा 379/411 भादवि0 धाना सलोन जनपद रायबरेली
- 2- मु0अ0सं0 438/22 धारा 379/411 भादवि0 धाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली
- 3- मु0अ0सं0 282/22 धारा 307/504/506 भादवि0 धाना डलमऊ जनपद रायबरेली
- 4- मु0अ0सं0 284/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट धाना डलमऊ जनपद रायबरेली
- 5- मु0अ0सं0 51/21 धारा 380/411 भादवि0 धाना हैदरगंज जनपद अयोध्या
- 6- मु0अ0सं0 196/22 धारा 323/324 भादवि0 धाना चौक कमिश्नेट लखनऊ
- 7- मु0अ0सं0 435/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त इंजमाम अली:-

- 1- मु0अ0सं0 117/22 धारा 379/411 भादवि0 धाना सलोन जनपद रायबरेली
- 2- मु0अ0सं0 282/22 धारा 307/504/506 भादवि0 धाना डलमऊ जनपद रायबरेली
- 3- मु0अ0सं0 438/22 धारा 379/411 भादवि0 धाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली
- 4- मु0अ0सं0 283/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट धाना डलमऊ जनपद रायबरेली
- 5- मु0अ0सं0 51/21 धारा 380/411 भादवि0 धाना हैदरगंज जनपद अयोध्या
- 6- मु0अ0सं0 196/22 धारा 323/324 भादवि0 धाना चौक कमिश्नेट लखनऊ
- 7- मु0अ0सं0 434/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़

### बरामदगी:-

1. 02 तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

### गिरफ्तार करने वाली कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस टीम:-

- 1- प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ल
- 2- अ0नि0 जगदीश भारी
- 3- अ0नि0 विद्यासागर तिवारी
- 4- अ0नि0 मो0 सरताज
- 5- हे0का0 सुनील कुमार
- 6- का0 अनुज कुमार, का0 अवधेश, का0 परमवीर सिंह, का0 अनिल बालियान, का0 हर्षित चौहान